प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिन्सिपल बैंच,नई दिल्ली।

संख्या 485 /खनन अनुभाग–24 दिनांक मई 4 ,2024

विशयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 संख्या:98/2024 में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राश्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 संख्या 98/2024 (I.A.No–33/2024 व I.A.No–34/2024) जोकि जनपद पीलीभीत से संबंधित है। विचाराधीन प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 07.05.2024 को सुनवाई हेतु तिथि नियत है।

अतः उक्त प्रकरण से संबंधित तथ्यवार स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर आपको इस अनुरोध के साथ के प्रेषित की जा रही है कि उक्त रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय

(संजय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 98/2024

(I.A. No.33/2024 & I. A. No. 34/2024)

Vivek Panday..Applicant

V/S

Ministry of Environment Forest and Climate Change through its Secretary.. Reespondenrt

STATUS REPORT BY DISTRICT MAGISTRATE PILIBHIT

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत ओ0ए0 संख्या 98/2024 विवेक पाण्डेय बनाम सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जोकि जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित है, मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2024 के अनुपालन में मा0 अधिकरण के संज्ञान मे विचाराधीन प्रकरण से सम्बधित तथ्य निम्न प्रकार है:–

1– पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 20.01.2016 के अर्न्तगत दी गयी व्यवस्था का अनुपालन करते हुये जनपद पीलीभीत में वर्ष 2017 मे देवहा नदी में स्थित पांच बालू खनन क्षेत्रों को चिन्हित कर उपखनिजो के खनन हेतु गाठित कमेटी जिला स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी।

2– वर्तमान मे जनपद पीलीभीत के ग्राम पकडिया नौगवा स्थित गाटा संख्या 199,228,229 व 429 कुल क्षेत्रफल 2.190 हे0 मात्र एक खनन क्षेत्र संचालित है। ग्राम पकडिया नौगवा स्थित गाटा संख्या 196क व 196ख पर चिन्हित खनन क्षेत्र जलमग्न होने जाने के कारण निष्प्रयोज्य हो गया है, उक्त सूचना को खनन अनुभाग की वेवसाइट यू0पी0 माईनमित्रा पर आनलाइन संशोधित करते हुये जनपद पीलीभीत की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट भी किया गया है, जिसको आनलाईन पोर्टल माईनमित्रा पर सुगमता से देखा जा सकता है, जोकि एक सतत् प्रकिया है। (संलग्नक–1)

3– शेष तीन बालू खनन क्षेत्रों को परिहार पर देने हेतु जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा अनुमोदित खनन क्षेत्रों में बालू की मात्रा, परिवहन हेतु रास्ता, खनन उपयुक्ता आदि के निरीक्षण व रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी हेतु दिनांक 04.10.2023 को जनपद स्तर पर चार सदस्य समिति का गठन किया गया, जिसमे कि प्रभागीय वनाधिकारी, उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता सिचांई व खान अधिकारी पीलीभीत शामिल थे। (संलग्नक–2)

FIRM 04.05.24

4– गठित समिति द्वारा दिनांक 08.11.2023 को जिलाधिकारी पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत रिर्पोट में अवगत कराया गया कि दो खनन क्षेत्रों में बालू की मात्रा, परिवहन हेतु रास्ता आदि न होने के कारण परिहार पर देने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। शेष एक बालू खनन क्षेत्र ग्राम पकडिया नौगवां गाटा संख्या 803ट क्षेत्रफल 4.046हे0 में गाटे तक पहुच मार्ग, बालू खनन उपयुक्तता व प्रचुर मात्रा मे बालू उपलब्ध है, चूकि उक्त गाटे से सट कर देवहा नदी बह रही है, जिससे भविष्य मे भी बालू आने की पूर्ण सम्भावना है, अतः खनन क्षेत्र को परिहार दिया जाना उचित होगा, की आख्या उपलब्ध कराई गयी। (संलग्नक–3)

5– जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन के शासनदेश संख्या 1875/86–2017–57 (सा)/2017 टी0सी0आई0 दिनांक 14.08.2017 के अधीन प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध खनिज यथा साधारण बालू/मौरम आदि के रिक्त क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत ई–निविदा, सह–ई–नीलामी के माध्यम से जनपद पीलीभीत में तहसील पीलीभीत के ग्राम पकडिया नौगवां में स्थित देवहा नदी के गाटा संख्या 803ट कुल रक्वा 4.046हे0 में 48552 घनमीटर साधारण बालू की ई–निविदा, सह–ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने दिनांक 04.12.2023 को ई–निविदा, सह–ई– नीलामी सम्पादित कराने हेतु समिति का गठन किया गया।

6– जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा दिनांक 16.12.2023 को बालू खनन क्षेत्र ग्राम पकडिया नौगवां गाटा संख्या 803ट क्षेत्रफल 4.046हे0 को दो प्रमुख समाचार पत्रों, जनपदीय बेवसाइट मे प्रचार प्रसार कराकर पांच वर्षीय खनन पट्टा हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई।

7– जनपद में बालू खनन क्षेत्र 803ट को विज्ञापित करने से पूर्व गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट रिपलशमेन्ट स्टडी के कम मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को आनलाईन पोर्टल माईनमित्रा पर अपडेट कराया गया, तत्पश्चात ही क्षेत्र को खनन परिहार हेतु जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त माना गया। (संलग्नक–4)

8– जनपद पीलीभीत हेतु वर्ष 2017 मे तैयार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को विभागीय पोर्टल पर निर्गत निर्देशो के कम मे अद्यतन किया जाता रहा है। निदेशक/सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 14.12.2023, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.12.2023 में पारित आदेश के कम में तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 2182/एम–228–खनन निति–2017, डी.एस.आर. दिनांक 12.02.2024 को दिये गये निर्देशो के कम व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पर्यावरण निदेशालय द्वारा प्रेषित एस.ओ.पी. के कम मे जनपद में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अपडेशन/मोडिफिकेशन का कार्य कराये जाने हेतु आवश्यक

04.05.24

कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त के अनुपालन में जनपद में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में ईको कन्सलटैन्ट एजेन्सी, लखनऊ को नामित किया गया है, एजेन्सी द्वारा जनपद में बालू खनन क्षेत्रों का सर्वे किया जा चुका है। उक्त क्षेत्रों का अपडेशन/मोडिफिकेशन का कार्य प्रगति पर है। (संलग्नक–5)

9– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराना है कि जनपद पीलीभीत के ग्राम पकडिया नौगवा स्थित गाटा संख्या 803ट क्षे0 4.046 हे0 को साधारण बालू खनन हेतु परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 16.12.2023 को प्रकाशित विज्ञप्ति निरस्त की जा चुकी है। मा0 अधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशो का सत्यनिष्ठा एव तत्परता के साथ अनुपालन कराया जाता है। (संलग्नक–6)

10– संयुक्त समिति राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (SEAC) व राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा तैयार दिनांक 07.02.2024 को प्रेषित एस0ओ0पी0 के कम में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अपडेट होने तक उक्त विज्ञप्ति को निरस्त किया जा चुका है व क्षेत्र रिक्त है। जनपद में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अपडेशन/मोडिफिकेशन का राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से अनुमोदन होने के पश्चात ही पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

04.05.24 4.5.24

खान अधिकारी
पीलीभीत

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
पीलीभीत।

जिला अधिकारी
पीलीभीत

anx- 184

डी0 एस0 आर0 में सम्मिलित खनन क्षेत्रों का विवरण

Gata No | Tehsil Name | Mineral Name | All | Search

Geo MAP	Area Code	District Name	Tehsil Name	Village	Gata No	Mineral Name	Total Area	Status	Action
	1315800101	Pilibhit	Pilibhit	Pakria Naugwan Ehatmali - 131580(131580)	803ट	Ordinary sand Category II	4.0460	Generate LOI	Edit DSR
	1320560101	Pilibhit	Bisalpur	Rajpur Kandari - 132056(132056)	826च	Ordinary sand Category II	0.6100	Non Minable due to Unavailability of Minerals	Edit DSR
	1315800103	Pilibhit	Pilibhit	Pakria Naugwan Ehatmali - 131580(131580)	199, 228, 229, 429	Ordinary sand Category II	2.1900	Deed Executed	Edit DSR
	1315800102	Pilibhit	Pilibhit	Pakria Naugwan Ehatmali - 131580(131580)	196क 196ख	Ordinary sand Category II	1.8200	Due to Area in Submerged in Water	Edit DSR
	1315680101	Pilibhit	Pilibhit	Meerapur Ehatmali - 131568(131568)	414	Ordinary sand Category II	4.7600	Non Minable due to Unavailability of Minerals	Edit DSR

04/5/2024

04.05.24

 ank-5

<u>कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।</u>

संख्या 454 /खनन अनुभाग–24 दिनांक मार्च 14 ,2024

विषयः– जनपद पीलीभीत में डी0एस0आर0 का Updation/Modification किये जाने के सम्बन्ध में।

Eco Consultant Service,
2nd floor Trinity Square,
Badshah nagar,
<u>Lucknow,</u>

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11.03.2024 के द्वारा जनपद में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को Sustainable sand mining management guidelines, 2016 तथा Enforcement and monitoring guidelines for sand mining, 2020 में दिये गये निर्देशों एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रेषित एस0ओ0पी0 की शर्तो के अनुसार डी0एस0आर0 में Updation/Modification का कार्य कराये जाने हेतु आपके द्वारा दी गई न्यूनतम दर को स्वीकर करते हुए आपको अधिकृत किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को Sustainable sand mining management guidelines, 2016 तथा Enforcement and monitoring guidelines for sand mining, 2020 में दिये गये निर्देशों एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रेषित एस0ओ0पी0 की शर्तो के अनुसार डी0एस0आर0 के Updation/Modification का कार्य पूर्ण कराकर सदस्य सचिव,(SEIAA) राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलंन प्राधिकरण से अनुमोदन कराने तक का कार्य पूर्ण कर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनिज)
कृते जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

संख्या454(1)/व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनिज)
कृते जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

anx- 3

(संयुक्त जॉच आख्या)

जिलाधिकारी, पीलीभीत।

महोदय,

कृपया पत्र दिनांक 04.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद पीलीभीत में रिक्त बालू खनन क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, परिवहन हेतु रास्ता व खनन हेतु उपयुक्ता आदि की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त के कम में संयुक्त टीम द्वारा जनपद की तहसील सदर में स्थित 02 बालू खनन क्षेत्र एवं तहसील बीसलपुर में स्थित 01 रिक्त बालू खनन क्षेत्र का सर्वे किया गया, जिसका विवरण क्षेत्रवार निम्नवत् है:–

01– बालू खनन क्षेत्र मीरापुर ऐ0

तहसील, सदर पीलीभीत में स्थितं बालू खनन क्षेत्र ग्राम मीरापुर ऐ0 के गाटा संख्या 414 कुल रकवा 4.046हे0, जोकि देवहा नदी के तल पर स्थित है, की जॉच की गई, जॉचोंपरान्त पाया कि वर्तमान में देवहा नदी उक्त गाटे को छोडकर पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत जादौपुर के गाटाओं में वह रही है, जिस कारण गाटा संख्या 414 में बालू भण्डारित नहीं हो पाया। वर्तमान में गाटा संख्या 414 में पानी भरा होने के कारण पूरे गाटे में जलकुम्भी भरी हुई है। अतः वर्तमान में गाटा संख्या 414 में बालू न होने के कारण खनन हेतु परिहार पर दिया जाना उचित नहीं होगा।

02– बालू खनन क्षेत्र पकडिया नौगवां ऐ0

तहसील, सदर पीलीभीत में स्थित बालू खनन क्षेत्र ग्राम पकडिया नौगवां ऐ0 के गाटा संख्या 803ट कुल रकवा 4.046हे0, जोकि देवहा नदी के तल पर पीलीभीत शहर के दक्षिण दिशा में स्थित है, जिसके समीप ही 01 अन्य बालू खनन क्षेत्र गाटा संख्या 199, 228, 229 व 429 कुल रकवा 2.192हे0 पर वर्तमान में बालू खनन क्षेत्र स्वीकृत हैं। गाटा संख्या 803ट में इस वर्षा ऋतु उपरान्त प्राचूर मात्रा में बालू भण्डारित हुआ है। टीम द्वारा क्षेत्र के चारों ओर निरीक्षण किया गया, जिसमे पाया कि उक्त गाटे तक पहुँच मार्ग, खनन हेतु उपयुक्ता व प्राचूर मात्रा मे बालू उपलब्ध है। चूँकि उक्त गाटों से सट कर देवहा नदी वह रही है, जिससे भविष्य में भी बालू आने की पूर्णतया सम्भवना है। अतः उक्त क्षेत्र को खनन हेतु परिहार पर दिया जाना उचित होगा।

city Magi 09/11 DM

03– बालू खनन क्षेत्र राजूपुर कुण्डरी

तहसील, बीसलपुर में स्थित बालू खनन क्षेत्र ग्राम राजूपुर कुण्डरी के गाटा संख्या 826च कुल रकवा 0.614हे0, जोकि देवहा नदी तल में स्थित है। उक्त गाटे पर प्राचूर मात्रा में बालू उपलब्ध है। परान्तु वर्तमान में उक्त गाटे तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह से नदी में कट गया है। उक्त पंहुँच मार्ग में देवहा नदी बह रही है। निरीक्षण हेतु उक्त गाटे तक पहुचने के लिए किसानों की निजी भूमि से जाना पडा। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित है कि गाटे तक पहुँच मार्ग जोकि ग्राम समाज की भूमि में आकर खुलता है, उस पर गौशाला का निर्माण कर दिया गया है, जिस कारण उक्त गाटे तक पहुँच मार्ग पूरी तरह अवरूद्ध है। अतः उक्त गाटे को खनन हेतु परिहार दिया जाना उचित नहीं होगा।

संयुक्त टीम में उपस्थित वन विभाग व बाढ़ खण्ड, पीलीभीत के अधिकारियों द्वारा भी बालू खनन क्षेत्र ग्राम पकडिया नौगवां ऐ0 के गाटा संख्या 803ट पर बालू खनन हेतु किसी प्रकार की क्षति न होने के कारण सहमति दी गयी है।

अतः संयुक्त जॉच आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(पीयूष मोहन श्रीवस्ताव) क्षेत्रीय वनाधिकारी, पीलीभीत।	(अमित सिंह) सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड	8/11/2023 (अशोक कुमार) खान अधिकारी, पीलीभीत।
(महिपाल सिंह) उपजिलाधिकारी, बीसलपुर।	(देवेन्द्र सिंह) उपजिलाधिकारी, पीलीभीत।	

anx-2

<u>कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।</u>

संख्या 345(1-6)/खनन अनुभाग–23 दिनांक ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 04 ,2023

1–प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।
2–समस्त उपजिलाधिकारी,जनपद पीलीभीत।
3–अधिशासी अभियन्त, सिचांई पीलीभीत।
4–<u>खान अधिकारी, पीलीभीत।</u>

वर्तमान में जनपद पीलीभीत में रिक्त चल रहे 04 बालू खनन क्षेत्र हैं, जिनमें वर्षा काल के पश्चात बालू की उपलब्धता, परिवहन हेतु रास्ता आदि तथा क्षेत्र की खनन हेतु उपयुक्ता एवं जनपद में भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0, शासन के निर्देशानुसार राजस्व हित व जनसामान्य को उपखनिज बालू उपलब्ध कराने हेतु नदी तल में नये खनन क्षेत्रों जहॉ पर बालू का उपलब्धता, परिवहन हेतु रास्ता आदि हो तथा उक्त क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त हो आदि की संयुक्त रूप से जॉचकर किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि 04 रिक्त बालू खनन क्षेत्रों की संयुक्त रूप से जांचकर अपनी संयुक्त आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें, जिससे व्यवस्थित कर खनन पट्टा हेतु विज्ञप्ति किये जाने की कार्यवाही कराया जाना सम्भव हो सके।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत 04 रिक्त बालू खनन क्षेत्रों की आख्या प्रेषण के पश्चात नये खनन क्षेत्रों की भी संयुक्त रूप से जॉच आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

<u>संख्या 345(7)/तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि--प्रभारी अधिकारी,खनन एवं खान अधिकारी,पीलीभीत को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आख्या प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नियत समय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

04/10

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।